UPAU010035822021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया
उपस्थितः–पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा) J.O. Code UP–2391
विशेष वाद संख्या–716/2021
राज्य बनाम कमलेश बाबू

मुकदमा अपराध संख्या–**459/2019**
धारा–**138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**फफूंद**, जिला–औरैया

दिनांक–13.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त कमलेश बाबू के सम्मन पर आख्या प्राप्त हुयी है कि उनकी पत्नी तथा अन्य लोगों ने बताया कि उपरोक्त की मृत्यु हो चुकी है। उनके द्वारा दिये गये मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति में मृत्य का दिनांक 23.01.2023 अंकित है। मृत्यु प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न है। सत्यापनकर्ता **उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह** का बयान न्यायालय में अभिलेखित किया गया कि अभियुक्त कमलेश बाबू पुत्र स्व० रामदयाल निवासी मो० केसर गनी थाना फफूंद जनपद औरैया के विरूद्ध न्यायालय द्वारा निर्गत मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 20.02.2026 को उस एस.आई. को तामील हेतु प्राप्त हुयी उसके द्वारा अंकित पते पर मौके पर जाकर मृत्यु सत्यापन का तामीला किया गया तो मौके पर मौजूद अभियुक्त कमलेश बाबू के सम्बन्ध में परिजन द्वारा बताया गया कि उनकी मृत्यु दिनांक 23.01.2023 को हो चुकी है और उनके द्वारा अभियुक्त का मृत्यु प्रमाणपत्र का प्रति प्राप्त करायी गयी जो पत्रावली के कागज संख्या 10 ख/2 के रूप में संलग्न है। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध 10 ख/1 के पुस्त पर अंकित मृत्यु सत्यापन रिपोर्ट को देखकर कहा कि यह रिपोर्ट उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में अंकित की गयी है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त कमलेश बाबू की मृत्यु दिनांक 23.01.2023 को हो चुकी है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमे की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.13 16:33:11 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya